प्रकरण नं० 2022/21
राजस्व वाद सं० - 12/2022 [illegible]

24/4/2023 पत्रावली पेश हुयी। वाद पत्र द्वारा अग्रिम कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली दिनांक 10/5/2023 को पेश हो।

10/5/23 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 20/07/23 को पेश हो।

20/07/2023 वकील वादी उप०/प्रति० 1.2.3.5.6.7 को तामील नोटिस होकर प्राप्त/आवाल लगातार अनुपस्थित है (एवं पश्चात कार्यवाही अवाम में लाई जाती है प्रति० 4 का रिपोर्ट शवार फरार फौत से प्रकट है/ लिखित उ० की सूची पेश करी-प्रकट करे प्रति० 8.9.10 की तामील होकर सूचना प्रकट करे अन्यथा वाद order 9 Rule 5 CPC के आधीन किया जावेगा/ पत्रावली दिनांक 4/8/2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

4/8/2023 वकील वादी उप० द्वारा प्रतिवादीगण की तामील होकर प्रकट करे अन्यथा वाद order 9 Rule 5 CPC के आधीन किया जायेगा। पत्रावली दिनांक 16/8/2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

16/8/2023 वकील वादी उप० वकील वादी उप० तामील तामील प्रकट नहीं किया गया है वाद वादी order 9 Rule 5 CPC के आधीन [illegible] पश्चात पुनः लेकर पेश करे [illegible] पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested